# न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियार म.प्र.

प्र.क. /13 निगरानी

R-1872-PBR/13

भरतलाल पिता वजेराम, जाति कलाल, धांधा खेती, निवासी ग्राम भाटपचलाना – अपीलान्ट/आवेदक

विरूद्ध

1– दिनेशचन्द पिता शंकरलाल जाति बाम्हण निवासी ग्राम भाटपचलाना तहसील बड़नगर

2– विष्णूलाल पिता रतनलाल जाति कलाल निवासी ग्राम भाटपचलाना तहसील बड़नगर जिला उज्जैन. – रेस्पाडेन्ट/ अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

---

न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय बडनगर के प्रकरण कमांक 8/अ70/11–12 में पारित आदेश दि. 15/03/013 से दुःखी होकर यह निगरानी

---

मान्यवर महोदय,

आवेदक अपीलान्ट की और से सादर निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

01– यह कि योग्य अधिनस्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/03/013 प्रथम दृष्टि में निरस्त किये जाने योग्य है।

02– यह कि रेस्पाडेन्ट कं. 01 व इसका भाई जशवंत और माता जी पार्वतीबाई के स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे नं. 11 तथा सर्वे नं. 12 में से रकबा 0.5 बिघा भूमि पश्चिम दिशा कि 25 वर्ष पूर्व वजेराम पिता भागीरथ जाति पोरवाल को संयुक्त रूप से 26000/–रू. में बिक्री का सौदा किया था तथा रेस्पाडेन्ट कं. 01 व इसके भाई जशवंत व माता जी ने उक्त भूमि का बिकी स्टाम्प गवाहो के समक्ष वजेराम के पक्ष में सम्पादित किया और चुकता रूप्या प्राप्त किया और गवाहो के समक्ष मोके पर जाकर वादग्रस्त भूमि पर वजेराम को कब्जा भी दिया गया और तभी से वजेराम पोरवाल रेस्पाडेन्ट कं. 01 व पडोसी कृषकगण व गॉव वालो की जानकारी में सतत लगातार 25 वर्षो से आजतक मालिक की हेसीयत से फसल बोकर काबिज काश्त है। उपरोक्त भुमि पर वजेराम पोरवाल को भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये है।उपरोक्त वादग्रसत भूमि पर अपीलान्ट का कभी भी मोके पर कब्जा नही या आधिपत्य नही रहा है। इसके उपरान्तभी अधिनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा वादग्रस्थ भूमि का कब्जा अपीलांन्ट से दिलाए जाने का आदेश दिनांक 15/03/013 को दिया गया है,जो प्रथम दृष्टि में अपास्त किये जाने योग्य है।

02–पर

भरतलाल

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1872-पीबीआर/13 **जिला** - उज्जैन

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10/1/19 | आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |